



महिला और शिक्षा

आराधना वर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी)

महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिल्सी, बदायूं, उत्तर प्रदेश

घोषणा

प्रस्तुत शोध पत्र Dr.Shippra, Assistant Professor, English, Government Degree College Babrala-Gunnaur (Sambhal) के पूर्व प्रकाशित मूल अंग्रेजी शोध पत्र "Women and Education" का हिंदी अनुवाद है, जो शोध पत्रिका 'JIGYASA (ISSN: 0974-7648, Volume-12, No-11) February Year-2019 में प्रकाशित हो चुका है। यह अनुवादित संस्करण मूल अध्याय की सामग्री, डेटा और निष्कर्षों को बनाए रखते हुए हिंदी भाषा में आराधना वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी) महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिल्सी, बदायूं, उत्तर प्रदेश द्वारा व्यापक जनहित और भाषाई सुलभता हेतु किया गया है।



सारांश

शिक्षा मानव प्रगति की बेहतर प्रगति की गारंटी देती है। यह देश के समग्र विकास में मदद करता है। शिक्षा महिलाओं को अपनी मानक उपस्थिति के लिए कदम उठाने और अपने जीवन को रीसेट करने के लिए कठिनाइयों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करती है। भारत में महिला शिक्षा प्रशासन और आम समाज दोनों में घुसपैठ रही है क्योंकि शिक्षित महिलाएं राष्ट्र के सुधार में एक आवश्यक हिस्सा मान सकती हैं। शिक्षा महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में है क्योंकि यह उन्हें कठिनाइयों पर प्रतिक्रिया करने और अपना जीवन बदलने के लिए सशक्त बनाती है। प्रशिक्षण और विकास के दृष्टिकोण से महिलाओं की शिक्षा प्रगति, सुखियों में स्थिति या जनता का ध्यान आकर्षित करने का सबसे प्रभावी तंत्र है। यह पेपर भारत में शिक्षा के प्रति महिलाओं के दृष्टिकोण के मुद्दों पर गौर करता है और महिलाओं की शिक्षा की स्थिति की तस्वीर देता है और महिला शिक्षा के मुद्दों और बाधाओं पर प्रकाश डालता है। बालिकाओं के लिए विकास कार्यक्रम में दोहरी विकास और विधायी नीतियों को अपनाया जा सकता है। आधुनिक समाज में, उच्च वर्ग, स्थिति और शक्ति प्राप्त करने के लिए शिक्षा आवश्यक है। महिलाओं को रोजगार देने से उनकी स्थिति और स्वायत्तता बढ़ेगी। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के एजेंट और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में समानता, विकास और शांति को बढ़ावा देने वाला माना जाता है। इसमें महिला सशक्तिकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। आज महिलाओं का सशक्तिकरण 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक बन गया है। व्यावहारिक रूप से, महिला सशक्तिकरण वास्तविकता का भ्रम है। हम देखते हैं कि महिलाएं हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न सामाजिक बुराइयों का शिकार बनती हैं। महिला सशक्तिकरण महिलाओं की संसाधनों और जीवन विकल्पों की क्षमता का विस्तार करने का महत्वपूर्ण हथियार है।

मुख्य शब्द

महिला शिक्षा, सकल नामांकन, महिला साक्षरता और बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर, सामाजिक और आर्थिक विकास, सशक्तिकरण।

परिचय

देश की सामान्य उन्नति में, भारत में महिला शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मानव संसाधनों के आधे हिस्से में सुधार करती है, घर और बाहर व्यक्तिगत संतुष्टि को बढ़ाती है। शिक्षित महिलाएँ न केवल अपने बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति रखती हैं, बल्कि अपने सभी युवाओं को बेहतर दिशा भी दे सकती हैं। शिक्षित महिलाएँ नवजात शिशु मृत्यु दर को कम करने और जनसंख्या के विकास में मदद कर सकती हैं।

साहित्यिक समीक्षा

साहित्यिक समीक्षाराष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, शोध पुस्तकों, रिपोर्टों और परियोजना कार्यों से बहुत सारा साहित्य एकत्र किया गया था।

- नंदिनी मांजरेकर (2003) का विचार है कि शिक्षा भारत में समकालीन महिला आंदोलन की चिंताओं के लिए परिधीय है, विशेष रूप से शिक्षा के अधिकार को स्थापित करने के लिए महिलाओं द्वारा संघर्ष की विरासत।
- दिघे (2006) का विचार है कि बड़ी हुई महिला शिक्षा स्वास्थ्य में सुधार, कम प्रजनन क्षमता और उच्च सामाजिक रिटर्न वाले अन्य लाभों से जुड़ी हुई है।
- यूनिसेफ 2007 के अनुसार लड़कियों की शिक्षा सामाजिक विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है, लैंगिक समानता और आर्थिक विकास विकसित हो रहा है देश।
- मिश्रा (2009) अपने शोध कार्य के माध्यम से दृढ़ता से स्वीकार करते हैं कि महिला साक्षरता उत्पादकता स्तर बढ़ाने, बाल मृत्यु दर को कम करने और जनसंख्या वृद्धि में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- एच. सुब्रमण्यम (2011) वर्तमान और अतीत में भारत में महिला शिक्षा पर नजर डालते हैं।
- एम. भवानी शंकर राव (2011) ने महिला व्यक्तियों की सुदृढ़ता पर प्रकाश डाला।
- डोएपके एम. टर्टिलिट एम. (2011) ने इस बात पर अध्ययन किया कि महिला सशक्तिकरण आर्थिक रूप से कैसे बढ़ावा देता है विकास।
- कुमार और सेफाली रॉय (2012) के अनुसार, समाज में महिलाओं की स्थिति तब तक नहीं सुधारी जा सकती जब तक कि उन्हें कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ-साथ औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा नहीं दी जाती।

उद्देश्य

- भारत में महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की स्थिति और संरचना का अध्ययन करना।
- महिला शिक्षा के महत्व का अध्ययन करना।
- महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के रास्ते में आने वाली बाधाओं की समीक्षा करना।
- महिला शिक्षा के लिए सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
- दोनों लिंगों की साक्षरता दर और लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर का विश्लेषण करना।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध दर का अध्ययन करना।

अनुसंधान पद्धति

यह पेपर प्रकृति में वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। इस पेपर में भारत में महिलाओं की शिक्षा, सशक्तिकरण और उनकी स्थिति की जांच करने का प्रयास और प्रयास किया गया है। डेटा जानकारी पूरी तरह से माध्यमिक स्रोतों पर आधारित है।

भारत में महिला शिक्षा का ऐतिहासिक प्रतिमान

इतिहास की शुरुआत से, भारतीय महिलाओं की स्थिति परिवर्तन के अधीन रही है। महिलाओं को पुरुषों के समान माना जाता था और पूर्व-वैदिक काल में उन्हें शिक्षा और रोजगार तक पहुंच प्राप्त थी। भारतीय महिलाओं को पुरुषों के साथ समान दर्जा प्राप्त था। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वयस्क होने के बाद शादी कर ली। उन्हें अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है। ऋग्वेद उपनिषदों में गार्गी और मैत्रेयी जैसी कई महिला ऋषियों का उल्लेख है, लेकिन वैदिक काल के बाद मनुस्मृति में महिलाओं की जीवनशैली पर प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसमें शिक्षा तक पहुंच पर प्रतिबंध भी शामिल है। विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला ने उसकी स्थिति को संपत्ति तक सीमित कर दिया जिसे हमेशा संरक्षित करने की आवश्यकता थी। धीरे-धीरे उसे घर से बाहर निकलने की आजादी नहीं दी गई। धार्मिक और सांस्कृतिक दायित्वों ने उसके व्यवहार पर शासन किया और उसे अपने जीवन के किसी भी छोटे मामले के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता से वंचित कर दिया। महिलाओं में शिक्षा और जागरूकता की कमी उन्हें रीति-रिवाजों, परंपराओं और साथ ही सती, जौहर, बाल विवाह, जबरन विधवापन और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का अंधाधुंध अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है। मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के आक्रमण के बाद महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई। महिलाओं को शिक्षा से पूरी तरह वंचित कर दिया गया। उन्हें रसोई तक ही सीमित कर दिया गया और बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाने लगा। हालाँकि आधुनिक काल में महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला कदम 1848-56 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय उठाया गया था। ब्रिटिश उदारवादी शिक्षा के दौरान भारत में महिला शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ा। इस अवधि के दौरान महिलाओं की शिक्षा और बाहरी दुनिया के साथ उनके संबंध पर कई सामाजिक-धार्मिक अभियान राजा राम मोहन राय जैसे प्रमुख लोगों द्वारा संचालित किए गए, महान सुधारक और महिलाओं के लिए अग्रणी ने सती, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की और विधवा-पुनर्विवाह की भी शुरुआत की। समाज में महिलाओं की स्थिति के विकास के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान भी बहुत बड़ा था। वह स्त्री शिक्षा के प्रसार पर बल देते हैं। इनके अलावा उन दिनों कुछ सशक्त आन्दोलन भी उभरे जैसे-

1. 'ब्रम्ह समाज' जिसके सदस्यों ने भारत में महिला शिक्षा के विकास के लिए बड़े उत्साह से काम किया।
 2. 'आर्य समाज' का प्रयास भी शानदार था, क्योंकि इसने महिला शिक्षा पर जोर दिया और लड़कियों के लिए विशेष स्कूल खोलकर इसे मजबूत भी किया।
- 20वीं सदी की शुरुआत के सामाजिक आंदोलन, समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कुछ कानून बनाने में सक्षम थे। हालाँकि, आज़ादी के बाद से समय-समय पर सरकारी नियमों और विनियमों के साथ महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार किया गया है।

भारत में महिला शिक्षा का महत्व

"सामाजिक गुलामी को काटने के लिए, शिक्षा एक सही हथियार है। यह दलित जनता को ऊपर आने और सामाजिक स्थिति, आर्थिक बेहतरी और राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए प्रेरित करती है।"

-डॉ. बी.आर. अंबेडकर

अर्थशास्त्री लॉरेंस समर्स के अनुसार, 'लड़कियों की शिक्षा में निवेश विकासशील दुनिया में सबसे अधिक रिटर्न और निवेश उपलब्ध होगा।'

शिक्षा माता-पिता द्वारा अपनी बेटियों को दिया गया सबसे मूल्यवान उपहार है। अगर लड़की पढ़ी-लिखी है तो जरूरत पड़ने पर नौकरी भी चुन सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि अशिक्षित महिलाओं में प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर अधिक होती है। शिक्षित होने से महिला छोटे परिवार के फायदे समझ सकेगी। आधुनिक समाज में, उच्च वर्ग का दर्जा और शक्ति प्राप्त करने के लिए शिक्षा आवश्यक चैनलों में से एक है। महिलाओं को रोजगार देने से उनकी स्थिति और स्वायत्तता बढ़ती है

सामाजिक आधुनिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विकास की ओर ले जाती है। अधिक कुशल श्रमिकों का अर्थ है अधिक कमाई और अधिक आर्थिक विकास। इस वृद्धि को देश में विकास और जीवन स्तर में वृद्धि के पीछे प्रेरक

शक्ति के रूप में देखा जाता है। शिक्षा वह आवश्यक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से महिलाएं आत्मविश्वास, आत्म-सम्मान और समान अधिकारों के संघर्ष में खुद को तैयार करने का कौशल हासिल कर रही हैं। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन के एजेंट और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट के रूप में, समानता विकास और शांति को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है।

महिलाओं की स्थिति

"यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, हालांकि, यदि आप एक महिला को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे परिवार को शिक्षित करते हैं। महिला सशक्त का मतलब है, सशक्त भारत माता "

-पं. जवाहरलाल नेहरू

शिक्षित महिलाएं परिवार और इस प्रकार समाज के विकास में बहुमूल्य योगदान दे सकती हैं। शिक्षित महिलाओं के कम और स्वस्थ बच्चे होते हैं और वे उन्हें अपने जैसे शिक्षित और उत्पादक नागरिक बनाने के लिए बड़ा करने की अधिक संभावना रखती हैं - एक स्वस्थ और अधिक स्थिर समाज का निर्माण करती हैं (यूनिसेफ 2007)। शिक्षित मां के बच्चों के पास करियर के व्यापक अवसर हैं क्योंकि वे अपनी मां से सीखकर जिस तरह के शिक्षा मानक बनाते हैं। दुर्भाग्यवश, भारत में लड़के की तुलना में लड़कियों की शिक्षा को दूसरी प्राथमिकता दी जाती है

महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दोनों लिंगों के लिए अनिवार्य शिक्षा की राज्य नियंत्रण प्रणाली की वकालत की थी। उन्हें पहली नारीवादी माना जाता है उनके अनुसार शिक्षा का कार्य एक पुरुष और एक महिला को सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक और राजनीतिक रूप से उपयोगी और योग्य बनाना था। कई अध्ययनों से पता चलता है कि अशिक्षित महिलाओं में प्रजनन क्षमता और मृत्यु दर उच्च स्तर, खराब पोषण स्थिति, कम कमाई की क्षमता और घर के भीतर थोड़ी स्वायत्तता होती है। महिला सशक्तिकरण की स्थिति को महिला जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में बहुआयामी मूल्यांकन से चित्रित किया जा सकता है।

भारत सरकार की बीजिंग रिपोर्ट 1995 के अनुसार; यह लगभग 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को नेता, निर्णय निर्माता के रूप में उभरने और मौजूदा 0.27 मिलियन निकायों के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का अवसर प्रदान करता है। दक्षिण-एशियाई क्षेत्रों में सबसे सफल और स्थिर संगठन इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उनके आर्थिक जीवन में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना समग्र सशक्तिकरण प्राप्त करने का सबसे अच्छा आधार है। (कैर एट अल 1996)।

सदी की शुरुआत के बाद से, बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, स्थानिक गतिशीलता और सामाजिक कानून के कारण भारत में महिलाओं की स्थिति बदल रही है। शिक्षा और जागरूकता के प्रसार के साथ महिलाएं रसोई से उच्च स्तर की व्यावसायिक गतिविधियों की ओर स्थानांतरित हो गई हैं।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, महिलाओं का सभी व्यवसायों में 25% से अधिक हिस्सा है। औद्योगिक देशों में 65% से 90% पार्ट-टाइम कर्मचारी महिलाएँ हैं। वर्ल्ड बैंक की 1996 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 94 % से अधिक महिलाओं ने कार्यस्थल पर डेयरी उत्पादन में योगदान दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की पुस्तक— 'इंडिया: इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी' में की गई टिप्पणी को याद करना उल्लेखनीय होगा: "महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल महिलाओं के जीवन पर, बल्कि पुरुषों और बच्चों के जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिए, इस बात के अनेक प्रमाण हैं कि महिलाओं की शिक्षा लड़कों और लड़कियों, दोनों में ही शिशु मृत्यु दर को कम करने में सहायक होती है। वास्तव में, केरल में जीवन प्रत्याशा के असाधारण रूप से उच्च स्तरों को वहाँ की शैक्षिक उपलब्धियों—विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा—से जोड़ने का एक ठोस आधार है; वहीं दूसरी ओर, कुछ उत्तरी राज्यों में जीवन प्रत्याशा के निम्न स्तरों को महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त पिछड़ेपन से जोड़ा जा सकता है।" लैंगिक एवं विकास विषयों की एक प्रख्यात लेखिका, डॉ. सरला गोपालन ने 'महिलाओं का सशक्तिकरण' विषय पर अपने योगदान में, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाने हेतु उठाए गए अनेक न्यायिक एवं संवैधानिक उपायों का विस्तृत उल्लेख किया है। साहित्यिक जगत की इस उत्कृष्ट जमात में,

अरुंधति राँय जैसी महिला लेखिकाओं ने संपूर्ण मानवता को जागृत करने हेतु एक नवीन क्षितिज का निर्माण किया है।

महिला सशक्तिकरण

आज 'सशक्तिकरण' एक अत्यंत प्रचलित और बहुचर्चित शब्द बन गया है। मूलतः, इसका अभिप्राय सत्ता एवं शक्ति के विकेंद्रीकरण से है। सशक्तिकरण एक सक्रिय एवं बहुआयामी प्रक्रिया है, जो महिलाओं को जीवन के समस्त क्षेत्रों में अपनी पसंद की स्वतंत्रता, अपनी पूर्ण पहचान और अपनी शक्ति को साकार करने में सक्षम बनाती है। यह लोगों की वह क्षमता है, जिसके माध्यम से वे अपने जीवन की परिस्थितियों में सुधार लाने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए—व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों की समझ विकसित करते हैं और उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं। इस संदर्भ में, महिलाओं को पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक 'त्रिसूत्री रणनीति' अपनाई गई है, जो सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण तथा लैंगिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को वैश्विक स्तर पर, सभी क्षेत्रों में प्रगति हासिल करने हेतु एक 'मुख्य तत्व' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख उद्देश्य हैं: पितृसत्तात्मक विचारधारा को चुनौती देना; उन संरचनाओं एवं संस्थाओं के स्वरूप में परिवर्तन लाना, जो लैंगिक भेदभाव और सामाजिक असमानता को निरंतर बल प्रदान करती हैं; तथा निर्धन महिलाओं को भौतिक एवं सूचनात्मक—दोनों प्रकार के संसाधनों तक पहुँच बनाने और उन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सक्षम बनाना। आज महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों में लाभकारी रोजगार की तलाश में जुटी हुई हैं। वे घरेलू कार्यों, बच्चों के पालन-पोषण, उनकी शिक्षा-दीक्षा तथा खेतों में कार्य करने के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय योगदान दे रही हैं और समाज के कल्याण में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इसका मुख्य लक्ष्य उन लोगों को 'आवाज' प्रदान करना है, जिनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है; साथ ही, समाज के वंचित वर्गों को निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में सहभागी बनाना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। सशक्तिकरण महिलाओं को अपने जीवन पर नियंत्रण रखने, खुद को संगठित करने, एक-दूसरे की मदद करने और बदलाव के लिए राज्य तथा समाज से मांग करने में सक्षम बनाता है। महिलाओं का सामूहिक सशक्तिकरण अपने साथ महिलाओं का व्यक्तिगत सशक्तिकरण भी लेकर आएगा। महिलाओं का सशक्तिकरण कोई नई परिघटना नहीं है। इसमें नई बात यह है कि अब यह तेज़ी से सार्वजनिक पटल पर सामने आ रहा है; इसका स्वरूप महिलाओं के कल्याण से हटकर उनके विकास और फिर उनके सशक्तिकरण की ओर मुड़ गया है और इसे एक नया आकार मिला है। हाल के समय में, हमारे सभ्य समाज में इसका गहन मूल्यांकन किया गया है, इस पर रिपोर्ट तैयार की गई है और इस पर चर्चा भी हुई है। महिलाओं की स्थिति निर्धारित करने में इसे एक केंद्रीय मुद्दे के रूप में मान्यता दी गई है।

महिलाओं के 'कल्याण' से 'विकास' की ओर बदलाव छठी पंचवर्षीय योजना में हुआ। इस दिशा में, 1993 में 'राष्ट्रीय महिला कोष' की स्थापना की गई, ताकि गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके और वे अपने आय के स्रोत खुद ढूँढ सकें। नौवीं योजना में महिलाओं के लिए नियोजन की दिशा में दो महत्वपूर्ण बदलाव किए गए:

- 1- महिला सशक्तिकरण एक प्राथमिक उद्देश्य बन गया।
- 2- इस योजना ने मौजूदा सेवाओं के एकीकरण का प्रयास किया।

दसवीं पंचवर्षीय योजना ने महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी प्रतिबद्धता जताई है, जिसका मूल मंत्र है- 'महिलाओं को सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन और विकास के वाहक के रूप में सशक्त बनाना'। भारतीय संविधान ने महिलाओं को दो महत्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्रदान किए हैं:

- 1- महिलाओं को मताधिकार।
- 2- विधायिका के लिए चुनाव लड़ने की पात्रता।

महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में प्रमुख मील के पत्थर संसद द्वारा पारित 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम थे, जिन्होंने पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया। अब ध्यान

महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने और नीति निर्माण के स्तरों पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर है। महिलाओं और बच्चों के विकास को आवश्यक गति प्रदान करने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक हिस्से के रूप में, 1985 में 'महिला एवं बाल विकास विभाग' की स्थापना की गई थी। यह विभाग योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का निर्माण करता है और उन्हें अंतिम रूप देता है। 'महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति' भी इसी विभाग द्वारा तैयार की गई है; यह नीति देश में महिलाओं की 'कानूनी रूप से समान स्थिति' और 'वास्तविक रूप से असमान स्थिति' के बीच की खाई को पाटने के लिए योजनाओं और कार्य बिंदुओं का निर्धारण करती है।

महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में बाधाएँ

चूँकि भारत एक पितृसत्तात्मक समाज है, इसलिए यहाँ पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। महिलाओं को 'पराया धन' माना जाता है। इस प्रकार, लड़कियों को केवल एक ज़िम्मेदारी और बोझ के रूप में देखा जाता है, और उनकी शिक्षा पर खर्च करना पैसे की बर्बादी समझा जाता है। इसके अलावा, भारतीय पुरुषों और समाज में यह धारणा भी प्रचलित है कि शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिलाओं को संभालना कठिन होता है, क्योंकि वे पुरुषों के अहंकार को ठेस पहुँचा सकती हैं। शिक्षा के हर स्तर पर महिलाओं की शैक्षिक प्रगति से जुड़े आँकड़े लैंगिक भेदभाव के अस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। महिलाओं के विकास में एक और बड़ी बाधा उनमें आत्मविश्वास की कमी है। आज तक महिलाओं को जिन मुख्य समस्याओं का सामना कुछ हद तक करना पड़ा है, वे हैं:

- 1- लैंगिक भेदभाव
- 2- शिक्षा की कमी
- 3- कन्या भ्रूण हत्या
- 4- आर्थिक बाधाएँ
- 5- पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ
- 6- कम गतिशीलता
- 7- जोखिम उठाने की कम क्षमता
- 8- सामाजिक स्थिति
- 9- उपलब्धि हासिल करने की महत्वाकांक्षा का अभाव
- 10- दहेज वाली शादी और बाल विवाह
- 11- महिलाओं पर अत्याचार।

महिलाओं के खिलाफ अपराध

- महिलाओं के खिलाफ अपराध भारत में महिला सशक्तिकरण के प्रबंधन और समन्वय में बड़ी बाधा डालते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर एक रिपोर्ट में चौंकाने वाले आँकड़े सामने आए हैं। वर्ष 2009-2013 के दौरान दर्ज किए गए अपराधों का विवरण इस प्रकार है-
- वर्ष 2012 के दौरान कुल 2,44,270 अपराध की घटनाएँ दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2011 में यह संख्या 2,28,649 थी। इस प्रकार, 2012 के दौरान अपराधों में 6.4% की वृद्धि हुई। ये अपराध लगातार बढ़ते रहे हैं। वर्ष 2013 के दौरान महिलाओं के खिलाफ किए गए IPC अपराधों का कुल IPC अपराधों में अनुपात 9.2% से बढ़कर 11.2% हो गया।
- अपने पुरुष समकक्षों के बराबर होना अभी भी भारतीय महिलाओं के लिए एक लंबे समय से चली आ रही इच्छा है। मानव विकास संकेतकों पर 2013 की UNDP रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देशों को महिलाओं के लिए भारत से बेहतर स्थान दिया गया था।

महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम

आज़ादी के बाद से ही, समय-समय पर, केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के बीच शिक्षा के प्रसार के तरीके और साधन सुझाने के लिए कई समितियों और आयोगों की नियुक्ति की गई है। ऐसी कुछ समितियाँ/आयोग इस प्रकार हैं-

- 1- विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49
- 2- माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53
- 3- महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय आयोग 1958
- 4- महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद
- 5- हंसा मेहता समिति 1962
- 6- भक्तवत्सलम समिति 1963
- 7- महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति 1970

भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान

- सभी व्यक्तियों के लिए कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद-14)। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव और पक्षपात पर रोक (अनुच्छेद - 15 (1))
- राज्य द्वारा महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं {अनुच्छेद - 15 (3)}
- राज्य के अधीन रोज़गार के संबंध में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता (अनुच्छेद - 16)
- पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य हेतु समान वेतन (अनुच्छेद - 39 (d))
- राज्य के लिए काम की मानवीय स्थितियाँ और प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के प्रावधान (अनुच्छेद - 42)
- भारत के हर नागरिक द्वारा सद्भाव को बढ़ावा देना और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक हैं {अनुच्छेद - 15 A (e)}
- स्थानीय निकायों के प्रत्यक्ष चुनाव में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से एक-तिहाई सीटों का आरक्षण। {अनुच्छेद 343(d) और 343 (T)}

आज़ादी के बाद से, भारत सरकार कई सार्वजनिक नीतियों और कानूनों के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक सहायता प्रदान करके महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा की प्रगति या गुणवत्ता की निगरानी कर रही है।

महिलाओं, लड़कियों और महिला शिक्षा की दिशा में भारत सरकार की अब तक की कुछ पहलें नीचे दी गई हैं:

- 1- शिक्षा सहयोग योजना: यह योजना उन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती है जिनके माता-पिता गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं और जो जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं।
- 2- सर्व शिक्षा अभियान: यह योजना एक राष्ट्रीय प्रमुख कार्यक्रम है और इसे भारत के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य 2010 तक 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। सर्व शिक्षा अभियान योजना 2001 में शुरू की गई थी।
- 3- साक्षर भारत: 2008 में शुरू की गई, साक्षर भारत का मुख्य उद्देश्य वयस्क शिक्षा, विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और मजबूत करना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की ग्राम पंचायतों में 1.70 लाख लोक शिक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- 4- कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना: इस योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और आदिवासी (ST) छात्रों की पढ़ाई जारी रखने में उनकी रुचि बढ़ाना है।
- 5- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना: यह कार्यक्रम विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। लगभग 3500 कस्तूरबा बालिका विद्यालय हैं जिनमें लगभग 3.6 लाख लड़कियां पढ़ रही हैं। इन स्कूलों में 5वीं से 8वीं कक्षा की लड़कियों के लिए छात्रावास की सुविधा भी है।
- 6- शिक्षा का अधिकार: यह शिक्षा को एक मौलिक अधिकार मानता है, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

7- प्रारंभिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम: इसका उद्देश्य कमजोर लड़कियों पर विशेष ध्यान देकर स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना है। गाँवों में महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं, जो लड़कियों के नामांकन और उपस्थिति पर नज़र रखते हैं या उनका पर्यवेक्षण करते हैं।

8- सबला: किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना, जिसका उद्देश्य अनाज उपलब्ध कराकर बढ़ती हुई किशोरियों को पोषण प्रदान करना है।

9- महिला संघ: इस योजना के तहत महिलाओं के मंच बनाए गए। यह ग्रामीण महिलाओं को आपस में मिलने, मुद्दों पर चर्चा करने, सवाल पूछने और सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

10- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान: माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों के छात्रावास हेतु बुनियादी ढाँचा उपलब्ध कराना।

11- धनलक्ष्मी योजना: बालिका के लिए एक शर्त-आधारित नकद हस्तांतरण योजना, जो इन तीन शर्तों पर आधारित है:

(क) जन्म के समय और जन्म के पंजीकरण के समय।

(ख) टीकाकरण की प्रगति और टीकाकरण का पूरा होना।

(ग) स्कूल में दाखिला और पढ़ाई जारी रखना।

भारत में साक्षरता दर के रुझान

1947 में आज़ादी के बाद, महिलाओं की शिक्षा को काफी बढ़ावा मिला और सरकार ने सभी भारतीय महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न उपाय और गतिविधियाँ कीं। इस प्रकार, महिलाओं की साक्षरता दर वास्तव में पुरुषों की साक्षरता दर से अधिक रही है। 1971 में यह केवल 22% थी, लेकिन 2001 के अंत तक 54.16% महिलाएँ साक्षर हो चुकी थीं। साक्षरता दर का अनुमान, कुल जनसंख्या के अनुपात में साक्षर लोगों के प्रतिशत के रूप में लगाया जाता है।

तालिका 1: भारत में लिंग के आधार पर साक्षरता दर के रुझान:

वर्ष	महिला साक्षरता दर		इंडेक्स संख्या	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1951	4.87	22.33	100	100
1961	10.1	40.5	207.39	181.37
1971	15.5	48.8	153.47	120.49
1981	21.7	56.3	140	115.37
1991	30.17	64.05	139.03	113.77
2001	46.7	73.02	154.79	114.29
2011	58.75	79.92	125.80	109.18

स्रोत: भारत की जनगणना 2011

प्राथमिक शिक्षा : प्राथमिक शिक्षा में नामांकन में लड़की एवं लड़का का अनुपात

1997- 74%

2001- 82.2%

2011- 98.4%

स्कूलों में लड़कियों के दाखिले में बढ़ोतरी के बावजूद, प्राथमिक स्तर पर उनके स्कूल छोड़ने की दर भी काफी ज़्यादा है, यानी 40%। पारंपरिक रूप से, भारतीय समाज लड़कियों से यह उम्मीद करता है कि वे घर पर रहें, अपने छोटे भाइयों की देखभाल करें और घर के कामों में मदद करें, जिससे उनकी पढ़ाई-लिखाई पीछे छूट जाती है।

माध्यमिक शिक्षा: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 2012 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में किशोर लड़कियों के बीच स्कूल छोड़ने की दर 60.35% है। इसी दौरान बाल विवाह भी होते हैं। हार्वर्ड स्कूल ऑफ़ पब्लिक हेल्थ द्वारा गुजरात में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 14-17 वर्ष की आयु की लड़कियों में से 37% की सगाई हो चुकी थी और 12% की शादी हो चुकी थी। लड़कियों की सुरक्षा भी एक और बड़ा कारण है; बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं का डर माता-पिता को इतना डरा देता है कि वे लड़कियों को आगे की पढ़ाई करने से रोक देते हैं। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी हर साल लड़कियों के स्कूल छोड़ने का एक मुख्य कारण है।

उच्च शिक्षा: महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ और भी ज्यादा मज़बूत हैं। पारंपरिक रूप से, भारतीय समाज महिलाओं को केवल घर के कामों के लिए ही सम्मान देता है, जिससे उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर कम मिलते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष

- वैश्रीकरण और उदारीकरण जैसी सामाजिक-आर्थिक ताकतों ने आबादी के एक हिस्से को कुछ राहत दी है।
- भारत में महिला सशक्तिकरण कुछ क्षेत्रों में अभी भी पीछे है।
- हमारे देश में लोगों के नज़रिए में बदलाव आना चाहिए।
- महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी जागना चाहिए और समानता और निष्पक्षता की ओर बढ़ रही दुनिया के साथ कदम मिलाना चाहिए।
- महिलाओं को यह एहसास होना चाहिए कि उनमें एक मज़बूत इंसान बनने की क्षमता है।
- गरीबी और अशिक्षा से मुश्किलें और बढ़ जाती हैं।

सुझाव

- महिलाओं को शिक्षित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- कमज़ोर वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- काम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और सहयोग दिया जाना चाहिए।
- महिलाओं का दर्जा बढ़ाने के लिए, उन्हें पुरुषों के बराबर उचित वेतन और काम दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

इस प्रकार, महिलाओं के विचार और उनका काम एक अच्छे परिवार, एक महान समाज और एक अच्छे देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें प्रगति की मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए। महिला सशक्तिकरण तभी सच्चा और सफल होगा, जब उन्हें वेतन और संपत्ति के मामले में समृद्ध किया जाएगा, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। भारत में महिलाओं की शिक्षा देश के समग्र विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा महिलाओं के आत्म-सम्मान और समाज में उनके दर्जे को बढ़ाने में मदद करती है। केवल शिक्षा ही बालिका को आगे के विकास के लिए तैयार करती है और उसे मनचाहे परिणाम हासिल करने में सक्षम बनाती है। पारंपरिक सोच और तौर-तरीकों में बदलाव किया जाना चाहिए, ताकि वे बालिका की प्रगति और विकास में बाधा न बनें। बालिकाओं के विकास कार्यक्रमों के लिए दोहरे विकास और विधायी नीतियों को अपनाया जा सकता है। सरकार और समाज, दोनों को मिलकर ऐसा माहौल बनाने की दिशा में कदम उठाने चाहिए, जहाँ किसी भी तरह का लैंगिक भेदभाव न हो।

महिलाओं को आत्म-नेतृत्व के पूरे अवसर मिलने चाहिए और उन्हें समानता की भावना के साथ किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। बालिकाओं के लिए एक प्रभावी नीति बनाई जानी चाहिए और माता-पिता तथा भारतीय समाज के सभी सदस्यों को यह समझाने के लिए

एक बड़ा प्रयास किया जाना चाहिए कि वे लड़कों और लड़कियों को समान रूप से स्वीकार करें। इस प्रकार, एक ऐसे नए और पुनरुत्थानशील भारत के निर्माण के लिए, जो अपनी मजबूत लोकतांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराओं को बनाए रखता है, यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाया जाए ताकि वे भारत की आंतरिक शक्ति को परिभाषित कर सकें। आज की आवश्यकता है महिला सशक्तिकरण—रोजगार के अवसर प्रदान करके और उद्यमों का सृजन करके, दोनों ही तरीकों से। वास्तविक बदलाव तभी आएगा जब हमारी महिलाओं के साथ पुरुषों के बराबर व्यवहार किया जाएगा और उन्हें समान अवसर दिए जाएंगे। यह याद रखना चाहिए कि शक्ति दी नहीं जाती, उसे अर्जित करना पड़ता है; और एक बार अर्जित हो जाने पर, उसे क्रियान्वित करने, बनाए रखने और संरक्षित करने की आवश्यकता होती है। हमारा देश तब तक दूसरों पर प्रतिस्पर्धी बढत हासिल नहीं कर पाएगा, जब तक कि महिलाओं की स्थिति और भूमिका में सुधार नहीं हो जाता।

जिन विविध रंगों के माध्यम से नारी-जगत को चित्रित किया जाता है, उनमें अभी भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। केवल ठोस जागरूकता और एकजुट प्रयासों के माध्यम से ही निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है और एक सुखद स्वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार, हम भारतीय महिलाओं की इस परस्पर जुड़ी हुई सामाजिक और व्यक्तिगत छवि को और अधिक सशक्त बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण महिलाओं को भारत के सह-निर्माता के रूप में देखने के अनुरूप है और यह भारत के विकास दर्शन का एक आधार स्तंभ है।

यह पेपर/शोध पत्र मूल कार्य का हिंदी अनुवाद है।

अनुवादक :- आराधना वर्मा असिस्टेंट प्रोफेसर (हिंदी) महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिल्सी, बदायूं, उत्तर प्रदेश

मूल लेखिका - Dr.Shippra, Assistant Professor, English, Government Degree College Babrala-Gunnaur (Sambhal)

**Original Title: Women and Education Original Publication: Research Paper
Research Paper Published in JIGYASA, Vol. 12, No. II, February, 2019,
Published by PODDAR FOUNDATION Taranagar Colony Chhittupur, BHU, Varanasi, pp. 255-266,
ISSN 0974-7648**